

20.08.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को पूर्व मे दिनांक 12.11.2024 से लगातार अंतिम अवसर व हिदायत दी जा रही है। अधिवक्तागण को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। उभयपक्ष अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

h/ks
सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ